(ii) for non-availability of records	—	1
(c) Number out of (b) (i) above pending for want of remand reports from Income-tax Officers:		
(i) for over one year	4	—
(ii) for over two years	3	—
(iii) for over three years or more	8	—

(d) instructions have been issued by the Commissioner of Income-tax to the Inspecting Assistant Commissioner to ensure that remand reports are submitted to the Appellate Assistant Commissioner by Income-tax Officer immediately to expedite the disposal of appeals.

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा

2691. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में कोटा स्थित तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र में किसी व्यक्ति को एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिये 100 रुपए मासिक वजीफ़ा पाने के लिये, 1200 रुपये जमा करने पड़ते हैं ;

(ख) यह भी सच है कि किसी व्यक्ति को 3 वर्ष का बांड भरने के स्थान पर अब 5 वर्ष का बांड भरना पड़ता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बांड की इस अवधि में केवल 150 रुपए मासिक वेतन मिलता है ;

(घ) यदि हां, तो इतना कम वेतन दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस वेतन को बढ़ाने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) राजस्थान में कोटा, आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर, गुजरात में कक्रापार और पंजाब में नंगल तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों को केन्द्रीय स्कीम के रूप में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं । राज्य सरकारों/परियोजना अधिकारियों द्वारा भेजे गए शिक्षार्थियों के लिए उनके द्वारा दी गई छात्र-वृत्तियों को और शिक्षा संबंधी किए जाने वाले दौरों के खर्च को छोड़ कर, चारों केन्द्रों के प्रचालन व रख-रखाव का सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है ।

दाखले के वक्त हर प्रशिक्षार्थी को 1260 रुपए की रकम जमानत के रूप म जमा करनी पड़ती है जो कि उसके नाम से डाकखाना बचत बैंक में जमा कर दी जाती है और यह सरकार के पास धरोहर के रूप में रहती है । यह जमानत इस बात को सुनिश्चित करने के लिये ली जाती है कि प्रशिक्षार्थी पाठ्यक्रम को पूरा कर ले और उसके बाद उपयुक्त अवधि के लिये किसी सिंचाई परियोजना पर काम करे । यदि प्रशिक्षार्थी सभी शर्तों को पूरा कर देता है तो बाद की अवधि की समाप्ति के बाद जमानत वापस कर दी जाती है । प्रत्येक प्रशिक्षार्थी अपने जामिन सरकार परियोजना अधिकारी से प्रतिमास 100 रुपये के हिसाब से एक साल की सारी अवधि के लिये 1200 रुपये की छात्रवृत्ति पाता है ।

(ख) बांड की अवधि को नवम्बर, 1965 से आरम्भ हुए प्रशिक्षा पाठ्यक्रम और बाद के पाठ्यक्रमों के लिये तीन साल से पांच साल इसलिए कर दिया गया ताकि प्रत्येक प्रशिक्षार्थी जिसकी प्रशिक्षा पर सरकार लगभग 10,000 रुपये खर्च करती है किसी सिंचाई परियोजना पर कम से कम पांच साल तक काम करे ।

(ग) से (ङ) प्रशिक्षा की समाप्ति पर जामिन अधिकारी प्रशिक्षार्थी को उन परियोजनाओं पर नियुक्त कर देते हैं जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण में हों ।

उनके वेतन और सेवा से संबंधित अन्य शर्तें सम्बद्ध राज्य सरकारों / परियोजना अधिकारियों के नियमों द्वारा नियमित किए जाते हैं । प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न वेतन हैं पर साधारणत: प्रारम्भिक मूल वेतन 150 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमास तक होता है जिसमें भत्ते शामिल नहीं हैं ।